

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या :- 92/2011

पुर्न दर्ज संख्या 318/2021 दिनांक- 21.09.2021

उनवान प्रकरण

शीला कंवर पनि विजय सिंह जाति. राजपूत निवासी भैंसलाना तहसील कोटपूतली हाल तह. पावटा जिला जयपुर (राज.) वादीया

बनाम

1. कमला पत्नि स्व. रामकुंवार
2. धर्मसिंह पुत्र स्व. रामकुवार समस्त जाति राजपूत निवासी जीणगौर तहसील कोटपूतली हाल तह पावटा
3. सुप्यार पुत्री स्व. रामकुंवार जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
4. रणजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह (मृतक)
 - 4/1 शान्ति देवी पत्नि स्व. रणजीत सिंह
 - 4/2 श्रवण सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
 - 4/3 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
 - 4/4 राजवीर सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
 - 4/5 पुरण सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
 - 4/6 रतन कुंवर पत्नि दीवान सिंह पुत्री स्व रणजीत सिंह
 - 4/7 बबीता कंवर पत्नि पृथ्वी सिंह प्त्ररी स्व. रणजीत सिंह
 - 4/8 कान्ता पत्नि निहाल सिंह पुत्री स्व रणजीत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कोठिया पो. नांगल लाखा तहसील बानसूर जिला अलवर
5. भोमसिंह पुत्र सरदार सिंह
6. जगदीश सिंह पुत्र सरदार सिंह
7. मगन सिंह पुत्र सरदार सिंह (मृतक)
 - 7/1 सरोज पत्नि स्व मगन सिंह
 - 7/2 हेम सिंह पुत्र स्व. मगन सिंह
 - 7/3 रवि पुत्र स्व. मगन सिंह
 - 7/4 अनिता उर्फ बाई पुत्री मगनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी जीणगौर तहसील कोटपूतली हाल तह पावटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली हाल पावटा
9. श्रीमान सब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली हाल पावटा



प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 17.10.2025

1. वादीया की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश वाद पत्र निम्नभौति पेश है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 641/0.31, 642/0.21, 643/0.19, 644/0.27, 645/0.05, 646/0.05, 648/0.20, 649/0.42, 650/0.19, 652/0.11, 654/0.07, 655/0.07, 656/0.44, 657/0.08, 658/0.08, 659/0.17, 660/0.22, 662/0.28, 663/0.11, 664/0.12, 820/0.18, 821/0.22, 860/0.21, 862/0.22, 863/0.10, 864/0.10 कुल किता 26 कुल रकबा 4.67 वाकै मौजा जीणगौर तहसील कोटपूतली में स्थित है उपरोक्त आराजी के वादीया हिस्सा 1/2 हिस्से की बहैसियसत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शेष हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 खातेदार काश्तकार काबिज है ।

पुष्पखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

2. उपरोक्त आराजी में आराजी खसरा नम्बर 643 में वादीया के मकान बने हुये है तथा आराजी खसरा नम्बर 641 व 642 में प्रतिवादीगण के मकान बने हुये है तथा शेष आराजी सामिल में चली आ रही है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा कास्त कर रहे है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया का राजस्व रिकार्ड भी शामिल मे है तथा लगान भी अदा शामिल मे हो रहा है राजस्व रिकार्ड शामिल मे होने से प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा होता है जब तक तकास्मा नहीं होता तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है तथा बिना तकास्मा किसी भी खातेदारान को भूमि को बेचान करने का, रहण करने का, भूमि की किस्म में परिवर्तन करने का, भूमि के ऊपर लोन लेने का, भूमि पर निर्माण कार्य करने का, भूमि के विशेष भू-भाग को बेचान करने का, भूमि की किस्म में कोई परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

3. यह है कि शामिल मे रिकार्ड होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बिना तकास्मा आराजी मुतदाविया को दिगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमदा हो रहे है तथा वादीया के कब्जे काश्त में मजाहमत कर रहे है इसलिये वादीया ने प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7 को कहा कि राजस्व रिकार्ड का राजस्व न्यायालय में चलकर तकास्मा करवा लो लेकिन प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7 टालमटोल कर रहे है और बिना तकास्मा उपरोक्त आराजी मुतदाविया को बेचान करने, रहन करने पर उतारू हो रहे है, आराजी के विशेष भाग को बेचान करने पर उतारू हो रहे है तथा आराजी की किस्म मे परिवर्तन करने पर उतारू हो रहे है तथा आराजी मे निर्माण कार्य करने, नींव खोदने, मकानात बनाने, भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहे है जबकि उनको बिना तकास्मा ऐसा करने का कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को कहा कि राजस्व रिकार्ड का राजस्व न्यायालय में तकास्मा करवा लो तथा तकास्मा के बाद जो भूमि आपके हिस्से मे आवे उसे बेचान करना, किसी प्रकार उपयोग उपभोग मे लेना, निर्माण करना, तथा किसी भी प्रकार भूमि को काम मे लेना लेकिन प्रतिवादी टालमटोल कर रहे है तथा तकास्मा के लिये इन्कारी है इसलिये वादीया को हक हो गया है कि वह जरिये आराजी हाल खसरा नम्बर 641/0.31, 642/0.21, 643/0.19, 644/0.27, 645/0.05, 646/0.05, 648/0.20, 649/0.42, 650/0.19, 652/0.11, 654/0.07, 655/0.07, 656/0.44, 657/0.08, 658/0.08, 659/0.17, 660/0.22, 662/0.28, 663/0.11, 664/0.12, 820/0.18, 821/0.22, 860/0.21, 862/0.22, 863/0.10, 864/0.10 कुल किता 26 कुल रकबा 4.67 वाकै मौजा जीणगौर तहसील कोटपूतली में स्थित है उपरोक्त आराजी के वादीया हिस्सा 1/2 हिस्से की बहैसियसत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शेष हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 खातेदार काश्तकार काबिज है उपरोक्त आराजी में आराजी खसरा नम्बर 643 में वादीया के मकान बने हुये है तथा आराजी खसरा नम्बर 641 व 642 में प्रतिवादीगण के मकान बने हुये है तथा शेष आराजी सामिल में चली आ रही है उपरोक्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7 के मध्यस्थ तहसीलदार को नियुक्त किया जाकर उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 643 में वादीया का नाम व 641 व 642 में प्रतिवादीगण का नाम एवं शेष आराजी का मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर तकास्मा किया जाकर वादीया के हिस्से में जो भूमि आवे उसका अलग से खाता खोला जावे । के लिये दावा तकास्मा पेश करना लाजिम आया और यही विनाय दावा है ।



उपखण्ड अधिकारी
बायटा (कोटपूतली-बहरोड़ा)

4 वाद कारण गत सप्ताह से वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7 को बार बार उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में तकास्मा के लिये कहने पर लेकिन प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7 द्वारा टालमटोल करने पर तथा आराजी को बिना तकास्मा बेचान करने एवं भूमि की किस्म में परिवर्तन करने तथा रिहायशी मकान बनाने पर व वादीया के हिस्से की भूमि में कब्जे कास्त में मजाहमत करने व वादीया को बेदखल करने पर उत्तारू होने से लगातार जारी है अतः वाद अन्दर मियाद पेश है। विवादीत भूमि श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए श्रीमान को वाद सुनने व तैय करनेका अधिकार प्राप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार फिक्स कोर्ट फीस पर वाद पेश है। यह है कि रामकुंवार पुत्र रिछपाल की मृत्यु हो गयी जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है।

4. अतः वादीया दावेदार है कि एक किता डिकी तकास्मा वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7 के विरुद्ध इस आशय की प्रदान की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 641/0.31, 642/0.21, 643/0.19, 644/0.27, 645/0.05, 646/0.05, 648/0.20, 649/0.42, 650/0.19, 652/0.11, 654/0.07, 655/0.07, 656/0.44, 657/0.08, 658/0.08, 659/0.17, 660/0.22, 662/0.28, 663/0.11, 664/0.12, 820/0.18, 821/0.22, 860/0.21, 862/0.22, 863/0.10, 864/0.10 कुल किता 26 कुल रकबा 4.67 वाकै मौजा जीणगौर तहसील कोटपूतली में स्थित है उपरोक्त आराजी के वादीया हिस्सा 1/2 हिस्से की बहैसियसत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शेष हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 खातेदार काश्तकार काबिज है उपरोक्त आराजी में आराजी खसरा नम्बर 643 में वादीया के मकान बने हुये है तथा आराजी खसरा नम्बर 641 व 642 में प्रतिवादीगण के मकान बने हुये है तथा शेष आराजी सामिल में चली आ रही है उपरोक्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के मध्यस्थ तहसीलदार को नियुक्त किया जाकर उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 643 में वादीया का नाम व 641 व 642 में प्रतिवादीगण का नाम एवं शेष आराजी का मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर तकास्मा किया जाकर वादीया के हिस्से में जो भूमि आवे उसका अलग से खाता खोला जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द किया जावे कि वादीया के हिस्से की आराजी के काब्ज-काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलन्दाजी पैदा ना करें। सदा-सदा के लिए ममनू बाज रहे। या जो दादरसी न्यायहित में फरमाई जावे।

4 दावा काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 मय अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा व जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 19.07.2024 को प्रतिवादी सं. 01 लगायत 7/4 बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहे इस कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 06.12.2024 को प्रतिवादी को काउन्टर क्लेम खारिज किया गया। दिनांक 27.01.2025 को वकील वादी की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 17.07.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रैजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। कुर्रैजात रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुरूप तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर तैयार करवायी गयी है। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।



उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

7 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा आराजी हाल खसरा नो 641/0.31, 642/0.21, 643/0.19, 644/0.27, 645/0.05, 646/0.05, 648/0.20, 649/0.42, 650/0.19, 652/0.11, 654/0.07, 655/0.07, 656/0.44, 657/0.08, 658/0.08, 659/0.17, 660/0.22, 662/0.28, 663/0.11, 664/0.12, 820/0.18, 821/0.22, 860/0.21, 862/0.22, 863/0.10, 864/0.10 कुल किता 26 कुल रकबा 4.67 वाकै मौजा जीणगौर तहसील पावटा, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

| क.सं. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर/रकबा |
|-------|--|--|
| 1 | शीला कंवर पत्नि विजय सिंह हि. सम्पूर्ण जाति राजपूत सा. भैसलाना राहिन सेन्द्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा पावटा | 641/1/0.16, 642/0.21, 644/0.27, 646/0.05, 648/1/0.10, 649/1/0.2050, 652/1//0.05, 654/0.07, 656/1/0.11, 657/0.08, 659/0.17, 660/0.22, 662/1/0.13, 664/0.12, 820/0.18, 860/0.21 हैक्टो भूमि। |
| 2 | कमला देवी पत्नि स्व. रामकुंवार सिंह हि. 3892/23350 धर्मपाल सिंह पुत्र रामकुंवार सिंह हि. 3892/23350 सुप्यार कंवर पुत्री रामकुंवार सिंह हि. 3891/23350 जगदीश पुत्र सरदारसिंह 2919/23350, भोमसिंह पुत्र सरदारसिंह हि. 2919/23350 मगनसिंह पुत्र सरदारसिंह हि. 2919/23350 राहिन SBBJ शाखा दांतिल रणजीत सिंह पुत्र सरदारसिंह हि. 2918/23350 समस्त जातियान राजपूत सा.देह | 641/2/0.15, 643/0.19, 645/0.05, 648/2/0.10, 649/1/0.2150, 650/0.19, 652/2/0.06, 655/0.07, 656/2/0.33, 658/0.08, 662/2/0.15, 663/0.11, 821/0.22, 862/0.22, 863/0.10, 864/0.10 हैक्टो भूमि। |



तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावे। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डा. सीधना शर्मा, RAS)
उप-खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

वाद पत्र संख्या :- 92/2011

पुर्न दर्ज संख्या 318/2021

दिनांक- 21.09.2021

उनवान प्रकरण

शीला कंवर पनि विजय सिंह जाति. राजपूत निवासी भैंसलाना तहसील कोटपूतली हाल तह. पावटा जिला जयपुर (राज.) वादीया

बनाम

1. कमला पत्नि स्व. रामकुंवार
2. धर्मसिंह पुत्र स्व. रामकुंवार समस्त जाति राजपूत निवासी जीणगौर तहसील कोटपूतली हाल तह पावटा
3. सुप्यार पुत्री स्व. रामकुंवार जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
4. रणजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह (मृतक)
 - 4/1 शान्ति देवी पत्नि स्व. रणजीत सिंह
 - 4/2 श्रवण सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
 - 4/3 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
 - 4/4 राजवीर सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
 - 4/5 पुरण सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
 - 4/6 रतन कुंवर पत्नि दीवान सिंह पुत्री स्व रणजीत सिंह
 - 4/7 बबीता कंवर पत्नि पृथ्वी सिंह प्त्ररी स्व. रणजीत सिंह
 - 4/8 कान्ता पत्नि निहाल सिंह पुत्री स्व रणजीत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कोठिया पो. नांगल लाखा तहसील बानसूर जिला अलवर
5. भोमसिंह पुत्र सरदार सिंह
- 6 जगदीश सिंह पुत्र सरदार सिंह
- 7 मगन सिंह पुत्र सरदार सिंह (मृतक)
 - 7/1 सरोज पत्नि स्व मगन सिंह
 - 7/2 हेम सिंह पुत्र स्व. मगन सिंह
 - 7/3 रवि पुत्र स्व. मगन सिंह
 - 7/4 अनिता उर्फ बाई पुत्री मगनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी जीणगौर तहसील कोटपूतली हाल तह पावटा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली हाल पावटा
10. श्रीमान सब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली हाल पावटा



प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा आराजी हाल खसरा न0 641/0.31, 642/0.21, 643/0.19, 644/0.27, 645/0.05, 646/0.05, 648/0.20, 649/0.42, 650/0.19, 652/0.11, 654/0.07, 655/0.07, 656/0.44, 657/0.08, 658/0.08, 659/0.17, 660/0.22, 662/0.28, 663/0.11, 664/0.12, 820/0.18, 821/0.22, 860/0.21, 862/0.22, 863/0.10, 864/0.10 कुल कित्ता 26 कुल रकबा 4.67 वाकै मौजा जीणगौर तहसील पावटा, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

| क्र.सं. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर/रकबा |
|---------|--|--|
| 1 | शीला कंवर पत्नि विजय सिंह हि. सम्पूर्ण जाति राजपूत सा. भैसलाना राहिन सेन्द्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा पावटा | 641/1/0.16, 642/0.21, 644/0.27, 646/0.05, 648/1/0.10, 649/1/0.2050, 652/1//0.05, 654/0.07, 656/1/0.11, 657/0.08, 659/0.17, 660/0.22, 662/1/0.13, 664/0.12, 820/0.18, 860/0.21 हैक्टो भूमि। |
| 2 | कमला देवी पत्नि स्व. रामकुंवार सिंह हि. 3892/23350 धर्मपाल सिंह पुत्र रामकुंवार सिंह हि. 3892/23350 सुप्यार कंवर पुत्री रामकुंवार सिंह हि. 3891/23350 जगदीश पुत्र सरदारसिंह 2919/23350, भोमसिंह पुत्र सरदारसिंह हि. 2919/23350 मगनसिंह पुत्र सरदारसिंह हि. 2919/23350 राहिन SBBJ शाखा दांतिल रणजीत सिंह पुत्र सरदारसिंह हि. 2918/23350 समस्त जातियान राजपूत सा.देह | 641/2/0.15, 643/0.19, 645/0.05, 648/2/0.10, 649/1/0.2150, 650/0.19, 652/2/0.06, 655/0.07, 656/2/0.33, 658/0.08, 662/2/0.15, 663/0.11, 821/0.22, 862/0.22, 863/0.10, 864/0.10 हैक्टो भूमि। |

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



(डा. सीधना शर्मा, RAS)
उप-खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

वाद के खर्चे

| बार्दी | रुपया | प्रतिवादी | रुपया |
|--|-------|---|-------|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शा के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |